

दिनांक

आज्ञा पत्र

कांजी

29.9.22

त्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कप्त होकर बाद तरतीब क्रममील दाखिल दफन हो।

not press

Bombay



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प बुन्दुबुन्)

1101 ची वी - 21 वर 6/2 29/15

पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सीकर(कैम्प बुन्दुबुन्)

1101 ची वी - 21 वर 6/2 29/15

पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सीकर(कैम्प बुन्दुबुन्)

1101 ची वी - 21 वर 6/2 29/15

पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सीकर(कैम्प बुन्दुबुन्)

पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सीकर(कैम्प बुन्दुबुन्)